

संदर्भ संख्या 1682-1691,
/यूपीसीडा/आई0ए0/Policy-18/Office order

दिनांक 20.07.2023

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की दिनांक 20.06.2023 को सम्पन्न 43वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक/व्यवसायिक/ग्रुप-हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के जिन आवंटियों द्वारा अपनी इकाई बिना पट्टा-विलेख निष्पादित कराये उत्पादनरत कर ली गयी है, ऐसे प्रकरणों में विलम्ब शुल्क लेते हुए आवंटन/हस्तान्तरण दर का 2 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति वर्गमीटर एवं प्रचलित ब्याज दर 10 प्रतिशत की गणना करते हुए पट्टा-विलेख निष्पादित किया जायेगा। प्रावधान दिनांक 31.12.2023 तक प्रभावी रहेगा। (सभी ऐसे आवंटियों को यथा सम्भव व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सूचना देते हुए सूचित भी किया जाय)



(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सं0स0 1682-1691,
/यूपीसीडा/औ0क्षे0/Policy-18/Office order दिनांक 20/07/2023

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, अवरस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए/एस/पी) यूपीसीडा, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. प्रभारी-बीपीपीसी सेल, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को इस आशय के साथ कि उक्त का सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/परि0अधि0/वरि0-सिविल/विद्युत, यूपीसीडा
7. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0क्षे0, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
8. प्रभारी-यूपीसीडा प्रकोष्ठ, मुख्यालय, कानपुर।
9. प्रभारी(कम्प्यूटर) यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कराये।
10. गार्ड फाईल।



(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी